अनुदान संख्या 17 - उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 17–DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	235,74,00		235,76,00	138,22,09	–97,53,91
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					94,78,45
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			34,50,00	4,29,05	–30,20,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					27,93,04

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	908.00	809.65	776.12	–33.53
पु.	R.	–98.35			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1800.00	37.26	. .	–37.26
पु.	R.	–1762.74			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries					
मू.	O.	1440.00				
				145.00	150.00	+5.00
पु.	R.	–1295.00				
मुख्य शीर्ष ''3425'' अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Major Head "3425" Other Scientific Research					
मू.	O.	1739.00				
				1627.90	1599.91	–27.99
पु.	R.	–111.10				
मुख्य शीर्ष ''3456'' सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies					
मू.	O.	8801.00				
पू.	S.	1.00		5852.81	5788.29	–64.52
पु.	R.	–2949.19				
मुख्य शीर्ष ''3475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services					
मू.	O.	2556.00				
पू.	S.	1.00		1640.36	1523.95	–116.41
पु.	R.	–916.64				
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	5780.00				
				3979.57	3978.82	–0.75
पु.	R.	–1800.43				

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्र. की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	550.00		5.00	5.00	. .
पु.	R.	–545.00				

(I) 4400.00 लाख रु. का प्रावधान (नवंबर, 2007 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सत्ताईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3640.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''सिविल पूर्ति'' -

(i) ''निदेशन तथा प्रशासन - उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ'' - 850.00 लाख रु; और

(ii) ''उपभोक्ता संरक्षण पर एकीकृत परियोजना'' - 400.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और बकाया राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) ''उपभोक्ता - शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण'' - 120.00 लाख रु. स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.4400.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in November, 2007) remained wholly unutilised under twenty seven heads; of these Rs.3640.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" –

(a) "Civil Supplies"-

(i) "Direction and Administration - Consumer Protection Cell" - Rs.850.00 lakhs; and

(ii) "Integrated Project on Consumer Protection"- Rs.400.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) "Consumer – Education and Training, HRD/Capacity Building" – Rs.120.00 lakhs – due to non-receipt of approval of Standing Finance Committee.

(ख) ''अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - माप और तोल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण'' - 120.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(b) "Other General Economic Services – Strengthening of Weights and Measures Infrastructure" – Rs.120.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''सामान्य - मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्राण'' -

(B) Major Head "2852" - "General – Standardisation and Quality Control" -

(क) ''मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय प्रणाली'' - 450.00 लाख रु.; और

(a) "National system for Standardisation" – Rs.450.00 lakhs; and

(ख) ''मूल्यांकन एवं अनुपालन के लिए राष्ट्रीय प्रणाली'' - 270.00 लाख रु.।

(b) "National system for Assessment and Compliance"- Rs.270.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of approval of Standing Finance Committee.

(गा) मुख्य शीर्ष ''3456'' - ''निदेशन और प्रशासन - उपभोक्ता शिक्षण एवं प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण'' - 1080.00 लाख रु. सरकारी अभिकरणों द्वारा आवश्यक वस्तुओं (जिंसों) के मूल्य के बाजार नियंत्राण में हस्तक्षेप न किए जाने के कारण थे।

(C) Major Head "3456" – "Direction and Administration – Consumer Education and Training, HRD/Capacity Building"- Rs.1080.00 lakhs - due to non–intervention of the government agencies in the market control of the price of essential commodities.

(घा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति - सिविल पूर्ति स्कीमें'' -

(D) Major Head "3602" – "Grants for Central Plan Schemes – Civil Supplies – Civil Supplies Schemes" –

(क) ''उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण'' - 150.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्रा की सरकारों से आवेदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(a) "Strengthening of Consumer Disputes Redressal Agencies" – Rs.150.00 lakhs – due to non-receipt of applications from Union Territory Governments.

(ख) ''माप और तोल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण'' - 200.00 लाख रु. मशीनरी की अधिप्राप्ति केंद्रीय रूप से किए जाने के कारण थे।

(b) "Strengthening of Weight and Measures Infrastructure" – Rs.200.00 lakhs – due to procurement of machinery centrally.

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - उपभोक्ता मामले विभाग'' के अंतर्गत 131.88 लाख रु. की बचत (908.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Consumer Affairs"- saving of Rs.131.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.908.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''सामान्य - मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्राण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''भारत में स्वर्ण प्रमाणक/विश्लेषण केंद्रों की स्थापना'' - 260.00 लाख रु. की बचत (360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वर्ण प्रमाणक केंद्रों के लिए पर्याप्त आवेदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण'' - 211.00 लाख रु. की बचत (261.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3425'' - ''अन्य - राष्ट्रीय परीक्षण गृह - नमूना परीक्षण केंद्र'' के अंतर्गत 139.09 लाख रु. की बचत (1739.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर उपस्कर की अधिप्राप्ति के लिए विनिर्देशों और प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3456'' - ''निदेशन तथा प्रशासन'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ'' - 953.95 लाख रु. की बचत (5965.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का समय पर अनुमोदन प्राप्त न होने और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''उपभोक्ता कल्याण निधि के अधीन परियोजनाएं'' - 771.96 लाख रु. की बचत (1310.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से किसी व्यवहार्य परियोजना के लिए आवेदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''बाजारों का विनियमन - वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत 1704.47 लाख रु. की बचत (1950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय को स्थानांतरित न किए जाने और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head “2852”-“General – Standardisation and Quality Control”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Setting up of Gold Hallmarking/Assaying Centres in India” - saving of Rs.260.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.360.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient applications for Gold Hallmarking Centres.

(B) “HRD/Capacity Building”- saving of Rs.211.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.261.00 lakhs) was due to non-receipt of approval of Standing Finance Committee.

(IV) Under Major Head “3425” – “Others – National Test Houses – Sample Testing Centre” – saving of Rs.139.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1739.00 lakhs) was due to non-finalisation of specification and procedure for procurement of software and hardware equipment.

(V) Under Major Head “3456”- “Direction and Administration”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Consumers Protection Cell” – saving of Rs.953.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5965.00 lakhs) was due to non- receipt of Cabinet Committee of Economic Affairs approval in time and non- holding of Central Consumer Protection Council meeting.

(B) “Projects under Consumer Welfare Fund” – saving of Rs.771.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1310.00 lakhs) was due to non- receipt of applications from States for any viable project.

(VI) Under Major Head “3475”-“Regulation of Markets-Strengthening of Forward Markets Commission”- saving of Rs.1704.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1950.00 lakhs) was due to non-shifting of office and non-receipt of claims from Directorate of Advertisement and Visual Publicity.

(VII) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''योजनेतर अनुदान - सिविल पूर्ति - सिविल पूर्ति स्कीम - उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम को अनुदान'' - 385.17 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि एवं उपभोक्ता क्लब की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति -सिविल पूर्ति स्कीम'' -

(क) ''माप और तोल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण'' - 1071.00 लाख रु. की बचत (1080.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान देने के स्थान पर मशीनरी की अधिप्राप्ति केंद्रीय रूप से किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम'' - 578.01 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन देर से प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''उपभोक्ता हेल्पलाइन'' - 316.75 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VIII) एक शीर्ष के अंतर्गत 81.79 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (795.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''माप और तोल का विनियमन - माप और तोल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत नवंबर, 2007 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 786.40

(VII) Under Major Head "3601"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Non-Plan Grants – Civil Supplies – Civil Supplies Scheme - Grants for Consumer Welfare Programme"- saving of Rs.385.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to non- receipt of proposals for setting up of State Consumer Welfare fund and Consumer club from State Governments.

(B) "Grants for Central Plan Schemes – Civil Supplies – Civil Supplies Scheme"–

(a) "Strengthening of Weight and Measures Infrastructure"- saving of Rs.1071.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1080.00 lakhs) was due to procurement of machinery centrally instead of giving grants to States/Union territories.

(b) "Consumer Awareness Programme"- saving of Rs.578.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to late receipt of approval of Cabinet Committee on Economic Affairs.

(c) "Consumer Helpline"- saving of Rs.316.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from State Governments.

(VIII) Under one head saving of Rs.81.79 lakhs occurred constituting 22 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.795.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in November, 2007 under Major Head "3475" – "Regulation of Weights and Measures – Strengthening of Weights and Measures Infrastructure". Actual excess, however, was Rs.786.40 lakhs.

लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति - सिविल पूर्ति स्कीम - उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 549.75 लाख रु. का अधिक व्यय (2800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम और अन्य राज्य सरकारों के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes – Civil Supplies - Civil Supplies Scheme - Strengthening of Consumer Disputes Redressal Agencies" - excess of Rs.549.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2800.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional head for utilisation on schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim and other State Governments.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	360.00	12.00	. .	–12.00
पु.	R.	–348.00			
मुख्य शीर्ष ''5425'' अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5425" Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	1800.00	367.00	165.14	–201.86
पु.	R.	–1433.00			
मुख्य शीर्ष ''5475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	790.00	230.00	215.95	–14.05
पु.	R.	–560.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''7475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	Major Head "7475" Loans for Other General Economic Services				
मू.	O.	500.00	47.96	47.96	. .
पु.	R.	–452.04			

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) 810.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 700.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''सिविल पूर्ति - राष्ट्रीय परीक्षण गृह'' - 250.00 लाख रु. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से भवन निर्माण के लिए अनुमानों के प्राप्त न होने और भवन उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''5475'' - ''सिविल पूर्ति - राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग'' - 450.00 लाख रु. शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय परिसर में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के भवन का निर्माण कार्य निष्पादित न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''5425'' - ''अन्य सेवाएं - राष्ट्रीय परीक्षण गृह के लिए प्रयोगशाला भवन का निर्माण'' के अंतर्गत 1634.86 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमानों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''7475'' - ''सिविल पूर्ति - शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों को कर्ज'' के अंतर्गत 452.04 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत

(I) Provision of Rs.810.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.700.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A). Major Head "4552" - "Civil Supplies - National Test House" – Rs.250.00 lakhs - due to non-receipt of estimates for building construction from Central Public Works Department and non-approval of proposal for procurement of building equipments.

(B) Major Head "5475" - "Civil Supplies - National Consumer Dispute Redressal Commission" – Rs.450.00 lakhs - due to non-execution of work of building for National Consumer Dispute Redressal Commission at Indian National complex by the Ministry of Urban Development.

(II) Under Major Head "5425"- "Other Services- Construction of Laboratory Building for National Test House- saving of Rs.1634.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs) was due to non- receipt of estimates from Central Public Works Department for construction of building.

(III) Under Major Head "7475"- "Civil Supplies- Loans to Consumer Co-operative in Urban Areas"- saving of Rs.452.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non- receipt of Supreme Court verdict.

प्रावधान की तुलना में) उच्चतम न्यायालय का अधिमत प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 75.33 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of Rs.75.33 lakhs occurred constituting 26 percent of the sanctioned provision.